



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14062022-236535
CG-DL-E-14062022-236535

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 295]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 13, 2022/ज्येष्ठ 23, 1944

No. 295]

NEW DELHI MONDAY, JUNE 13, 2022/JYAISHTHA 23, 1944

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2022

फा. सं. एपीडा/पीएडी/2017-18/000044.— कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985(1986 का 2) की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में समूह क, ख और ग पदों पर भर्ती के तरीके को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातः

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ

- इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (भर्ती) विनियम, 2022 है।
- ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रारंभिक संगठन

सभी वर्तमान नियमित अधिकारी एवं कर्मचारी जिनको इन विनियमों के तहत नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है, इन विनियमों के अधीन नियुक्त किए गए समझे जाएँगे और नियमित आधार पर उनकी सेवा की परिवीक्षा, पुष्टि और प्रोन्नति के प्रयोजनों के लिए गिनती में लिया जाएगा।

3. परिभाषाएं

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

- (i) "अधिनियम" से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) अभिप्रेत है;
- (ii) "एपीडा" से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (iii) "नियुक्ति" के अंतर्गत सीधी भर्ती, प्रोन्नति द्वारा और किसी अन्य विहित माध्यम से नियुक्त अभिप्रेत है;
- (iv) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण(एपीडा)अभिप्रेत है;
- (v) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एपीडा के अध्यक्ष
- (vi) "नियुक्ति प्राधिकारी"
 - a. महाप्रबंधक के स्तर तक सभी पद जिनके वेतन स्तर 12 (78800 – 209200 रुपए) से अधिक न हो – अध्यक्ष; और
 - b. सचिव और निदेशक पद के लिए - केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के साथ अध्यक्ष ।
- (vii) "विभागीय अभ्यर्थी" प्राधिकरण के सभी ऐसे कर्मचारी जो प्रोन्नति के लिए विचाराधीन अभ्यर्थी है; "विभागीय प्रोन्नति समिति" अथवा डीपीसी से अभिप्रेत उस समिति से है जो अपेक्षित वर्ष की सेवा पूरा करने वाले और प्रोन्नति के लिए अन्यथा पात्र कर्मचारियों की प्रोन्नति के विचार हेतु गठित है । डी.पी.सी का गठन अनुसूची में प्रत्येक पद के संदर्भ में निर्धारित रूप में होगा;
- (viii) "प्रतिनियुक्ति" से अभिप्रेत केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित नियमों के अनुसार केंद्रीय/राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों से सेवाएं लेना ।
- (ix) "सीधी भर्ती" से अभिप्रेत रोजगार केंद्र से अभ्यर्थियों की मांग करके, विज्ञापन के जरिए आवेदन आमंत्रित करके/ प्राधिकरण के पात्र कर्मचारियों से आवेदन स्वीकार कर भर्ती करना है ।
- (x) परन्तु सीधी भर्ती की प्रक्रिया में जहाँ कहीं भी आवश्यकतानुसार अध्यक्ष द्वारा लिखित परीक्षा और/या साक्षात्कार निर्धारित किया जा सकता है और इस कार्य के लिए अध्यक्ष, सरकार के नियमानुसार/आदेशानुसार उपयुक्त एजेंसी/संगठन/संस्था/फर्म की सेवाओं को संलग्न/किराए पर लिया जा सकता है । प्राधिकरण के कर्मचारियों को, यदि भर्ती किए जाते हैं तो भर्ती के प्रयोजनों के लिए सीधे भर्ती किए गए कर्मचारी समझा जाएगा और वे पिछली सेवा की गणना करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के नियमों द्वारा शासित होंगे ।
- (xi) "कर्मचारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो नियमित पद धारण कर रहा है और संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट कोई भी पद धारण कर रहा है;
- (xii) "सरकार" से केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है;
- (xiii) "वेतन" से मूल नियम और पूरक नियम में यथापरिभाषित वेतन अभिप्रेत है;
- (xiv) "अनुसूची" से इन विनियमों की अनुसूची अभिप्रेत है;
- (xv) "सेवा" से प्राधिकरण में सेवा अभिप्रेत है;
- (xvi) "विनियमों" अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत है;
- (xvii) "नियमों" से कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम 1986 और किसी प्रकार के अन्य नियम जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए से अभिप्रेत है;

4. लागू होना

ये विनियम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अनुसूची में कॉलम 2 में उल्लेखित प्राधिकरण के सभी पदों को लागू होंगे।

5. वेतनमान, योग्यता और भर्ती की पद्धति

सेवा में विभिन्न पदों के वेतनमान, उक्त पदों पर भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं और भर्ती का तरीका वह होगा जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है।

6. कतिपय प्रवर्गों के व्यक्तियों की बाबत आरक्षण, शिथिलता आदि

इन विनियमों की कोई बात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, और विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंधित किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयु सीमा में शिथिलताओं और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

7. नियुक्ति करने की शक्ति

(1) अध्यक्ष, निदेशक और सचिव के अतिरिक्त सभी नियुक्तियां अध्यक्ष द्वारा की जाएंगी।

(2) अध्यक्ष को अतिआवश्यक मामलों में और कार्य की अत्यावश्यकताओं को पूरा करने के लिए, किसी रिक्ति में, चयन समिति द्वारा चयन किए बिना, तदर्थ नियुक्तियां करने के लिए सशक्त होगा यदि ऐसी रिक्ति, ऐसे पद में है जिसका वेतनमान ऐसा है जिसका वेतन स्तर 12 (78800-209200) और ऐसी नियुक्तियां एक समय में नब्बे दिन से अधिक अवधि के लिए या कुल मिलाकर एक वर्ष के लिए अथवा उस समय तक के लिए होगी जब ऐसे पद पर नियुक्ति या प्रोन्नति इन नियमों के अनुसार कर दी जाती है, जो भी पूर्वोक्त हो।

8. शिथिलीकरण

जहां अध्यक्ष की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक है, तो वह ऐसे कारणों के आधार पर जो लेखबद्ध किए जाएंगे, समूह ख और ग प्रवर्ग के पदों पर व्यक्तियों की बाबत इन नियमों के उपबंधों में से किसी में छूट दी जा सकती है। तथापि समूह 'क' के पदों के लिए इन नियमों के उपबंधों में कोई भी छूट सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही जाएगी।

9. अयोग्यता**कोई भी व्यक्ति-**

(1) जो एक पति या पत्नी के जीवित होने के साथ, अतिरिक्त विवाह के अनुबंध में प्रवेश किया है।

(2) जो एक पति या पत्नी के जीवित होने पर किसी अन्य व्यक्ति से विवाह अनुबंध में प्रवेश करने पर किसी भी पद पर नियुक्ति के पात्र हेतु योग्य होंगे यदि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि इस तरह का विवाह, ऐसे व्यक्ति/अन्य पार्टी के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के तहत अनुमत है और इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी व्यक्ति को मुक्त करने के लिए अन्य कारण उपलब्ध हो।

(3) जो किसी भी आपराधिक कृत्य के लिए देश के कानून के किसी न्यायालय द्वारा दण्डित हो जो अन्यथा नियमों के तहत किसी भी सरकारी सेवा के किसी पद पर नियुक्ति के लिए रोक लिया गया हो।

10. व्याख्या

यदि इन विनियमों की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसे केन्द्रीय सरकार को भेजा जाएगा जो इस संबंध में निर्णय करेगी।

11. निरसन

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (भर्ती) विनियम, 28 अप्रैल, 2011 को एतद् द्वारा समय-समय पर यथा-संशोधित जीएसपी संख्या 87 के अंतर्गत अधिसूचित निरस्त किया जाता है।

अनुसूची

क्र. सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन स्तर में वेतनमान	चयन पद है या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आय- सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1	निदेशक	1* (2022) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन	समूह क	स्तर 13 (123100-215900 रुपए)	चयनित पद	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई है	भर्ती की पद्धति: प्रोन्नति या सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रतिनियुक्ति / प्रोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड/ पद जिनसे प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति की जानी है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति / चयन समिति विद्यमान है तो इसका गठन क्या है
9	10	11	12	13
लागू नहीं	लागू नहीं	100 % प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति: महाप्रबंधक/सचिव के पद पर एपीडा में नियमित पांच वर्ष की सेवा; केंद्र सरकार के संगठित समूह 'क' सेवाओं के अधिकारी नियमित आधार पर या वेतन स्तर 12 में पांच साल की नियमित सेवा के समान पद पर रहें हो।	चयन समिति: 1. समिति के अध्यक्ष - अतिरिक्त/संयुक्त सचिव, ईपी (कृषि) प्रभाग, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 2. अध्यक्ष, एपीडा 3. प्राधिकरण के दो सदस्य 4. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति/ अल्पसंख्यक आयोग (एमसी) से केंद्र सरकार का उचित स्तर का कोई अधिकारी।

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन स्तर में वेतनमान	चयनित पद है या अचयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आय-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
2	महाप्रबंधक	4* (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन	समूह क	स्तर 12 (78800 – 209200 रुपए)	चयनित पद	लागू नहीं	लागू नहीं

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएं प्रोन्नति पाने वालों / प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: प्रोन्नति या सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड / पद जिनसे प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति की जानी है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति / चयन समिति विद्यमान है तो इसका गठन क्या है
9	10	11	12	13

लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : उप महाप्रबंधक के पद में 5 वर्ष की नियमित सेवा	विभागीय प्रोन्नति समिति: 1. समिति के अध्यक्ष - एपीडा अध्यक्ष 2. प्राधिकरण के दो सदस्य 3. निदेशक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 4. निदेशक, एपीडा 5. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति/ अल्पसंख्यक आयोग (एमसी) से केंद्रीय सरकार का उचित स्तर का कोई अधिकारी।
-----------	-----------	------------------	--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

क्र. सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन स्तर में वेतनमान	चयनित पद है या अचयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
3	सचिव	1 (2022)	समूह क	स्तर 12 (78800 - 209200 रुपए)	चयनित पद	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई है	भर्ती की पद्धति: प्रोन्नति या सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रतिनियुक्ति / प्रोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड/ पद जिनसे प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति की जानी है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति / चयन समिति विद्यमान है तो इसका गठन क्या है
9	10	11	12	13
लागू नहीं	लागू नहीं	100% प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति: उप महाप्रबंधक के पद पर एपीडा में 5 वर्ष की नियमित सेवा; केंद्र सरकार के संगठित समूह 'क' सेवाओं के अधिकारी नियमित आधार पर या वेतन स्तर 11 में पांच साल की नियमित सेवा के समान पद पर रहें हो।	विभागीय प्रोन्नति समिति: 1. समिति के अध्यक्ष - एपीडा अध्यक्ष 2. प्राधिकरण के दो सदस्य 3. निदेशक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 4. निदेशक, एपीडा 5. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ अल्पसंख्यक आयोग (एमसी) का केंद्रीय सरकार से उचित स्तर का कोई अधिकारी।

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन स्तर में वेतनमान	चयनित पद है या अचयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
4	उप महाप्रबंधक	9* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन	समूह क	स्तर 11 (67700-208700 रुपए)	चयनित पद	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई है	भर्ती की पद्धति: प्रोन्नति या सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रतिनियुक्ति / प्रोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड/ पद जिनसे प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति की जानी है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति / चयन समिति विद्यमान है तो इसका गठन क्या है
9	10	11	12	13
लागू नहीं	लागू नहीं	100% प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : सहायक महाप्रबंधक के पद में 5 वर्ष की नियमित सेवा	विभागीय प्रोन्नति समिति: 1. समिति के अध्यक्ष - एपीडा अध्यक्ष 2. प्राधिकरण के दो सदस्य 3. निदेशक/उप सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 4. निदेशक, एपीडा 5. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ अल्पसंख्यक आयोग (एमसी) से केंद्रीय सरकार का उचित स्तर का कोई अधिकारी।

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनस्तर में वेतनमान	चयनित पद है या अचयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
5	सहायक महाप्रबंधक	16* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन	समूह क	स्तर 10 (56100-177500 रुपए)	चयनित पद	35 वर्ष से अधिक नहीं	<u>अनिवार्य:</u> (i) कृषि/बागवानी/पशु चिकित्सा/खाद्य प्रसंस्करण/विदेश व्यापार/प्लांटेशन/प्रबंधन में स्नातक डिग्री जैसे कृषि प्रबंधन। (ii) उपरोक्त क्षेत्रों में उपरोक्तानुसार शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के उपरांत पांच वर्ष का अनुभव। <u>वांछनीय:</u> उपरोक्त विषय में स्नातकोत्तर/डॉक्टरेट; उपरोक्त क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में लेख प्रकाशन।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई है	भर्ती की पद्धति: प्रोन्नति या सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रतिनियुक्ति / प्रोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड/ पद जिनसे प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति की जानी है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति / चयन समिति विद्यमान है तो इसका गठन क्या है
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

9		10	11		12			13
प्रोन्नति के लिए नहीं; प्रतिनियुक्ति के लिए: हां		प्रोन्नति के लिए तीन वर्ष; सीधी भर्ती के लिए तीन वर्ष	50% विभागीय परीक्षा द्वारा प्रोन्नति और 50% सीधी भर्ती द्वारा।		विभागीय परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति: 3 वर्ष की नियमित सेवा के साथ प्रबंधक पद का फीडर ग्रेड धारण करने वाले अधिकारी टिपण्णी: इस संबंध में विभागीय परीक्षा आयोजित करने और चयन समिति के गठन के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने वाले विनियम/नियम/आदेश जारी किए जाएंगे।			लागू नहीं
क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन स्तर में वेतनमान	चयनित पद है या अचयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	
1	2	3	4	5	6	7	8	
6	प्रबंधक	2* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन	समूह ख	स्तर 7 (44900-142400 रुपए)	चयनित पद	लागू नहीं	लागू नहीं	

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई है	भर्ती की पद्धति: प्रोन्नति या सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रतिनियुक्ति / प्रोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड/ पद जिनसे प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति की जानी है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति / चयन समिति विद्यमान है तो इसका गठन क्या है
9	10	11	12	13
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति: सहायक प्रबंधक के पद में पांच वर्ष की नियमित सेवा	1. समिति के अध्यक्ष - एपीडा अध्यक्ष 2. निदेशक/ उप सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 3. निदेशक, एपीडा 4. सचिव/ कार्मिक और प्रशासन विभाग के महाप्रबंधक 5. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ अल्पसंख्यक आयोग (एमसी) से केंद्रीय सरकार का उचित स्तर का कोई अधिकारी।

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन स्तर में वेतनमान	चयनित पद है या अचयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
7	सहायक प्रबंधक	29* (2022) *कार्यभार	समूह ख	स्तर 6 (35400-112400 रुपए)	चयनित पद	30 वर्ष से अधिक नहीं	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य: कृषि/बागवानी/पशु चिकित्सा/खाद्य प्रसंस्करण/विदेश व्यापार/प्लांटेशन/प्रबंधन में स्नातक डिग्री जैसे कृषि प्रबंधन।

	के आधार पर परिवर्तन के अधीन					वांछनीय: उपरोक्त विषय में स्नातकोत्तर/डॉक्टरेट; उपरोक्त क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में लेख प्रकाशन।
--	-----------------------------	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई है	भर्ती की पद्धति: प्रोन्नति या सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रतिनियुक्ति / प्रोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड/ पद जिनसे प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति की जानी है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति / चयन समिति विद्यमान है तो इसका गठन क्या है			
9	10	11	12	13			
प्रोन्नति के लिए: नहीं; प्रतिनियुक्ति के लिए: हां	प्रोन्नति के लिए तीन वर्ष; सीधी भर्ती के लिए तीन वर्ष	(i) 25% प्रोन्नति द्वारा और (ii) 75% सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति: कार्यपालक (ईडीपी) के पद पर 6 वर्ष की नियमित सेवा; सहायक कार्यपालक के पद पर 10 वर्ष की नियमित सेवा; रोकड़ कार्यपालक (कैशियर) के पद पर 10 वर्ष की नियमित सेवा;	1. समिति के अध्यक्ष - एपीडा अध्यक्ष 2. निदेशक / उप सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 3. निदेशक, एपीडा 4. सचिव/ कार्मिक और प्रशासन विभाग के महाप्रबंधक 5. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ अल्पसंख्यक आयोग (एमसी) से केंद्रीय सरकार का उचित स्तर का कोई अधिकारी।			
क्र. सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन स्तर में वेतनमान	चयनित पद है अथवा अचयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
8	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	1* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	समूह ख	स्तर 6 (35400-112400 रुपए)	लागू नहीं	30 वर्ष	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर डिग्री जिस के साथ डिग्री स्तर पर अनिवार्य विषय या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी ली गई हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी ली गई हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी अन्य विषय में हिंदी माध्यम में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी ली गई हो। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा अंग्रेजी माध्यम से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय

						<p>के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी ली गई हो;</p> <p>अथवा</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी को अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के रूप में या इन दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में लिया गया हो;</p> <p>और</p> <p>(ii) हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स अथवा केंद्रीय या राज्य सरकार के किसी कार्यालय, जिनमें भारत सरकार के उपक्रम भी शामिल है, से हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव।</p>
--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवृत्त की अवधि यदि कोई है	भर्ती की पद्धति: प्रोन्नति या सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रतिनियुक्ति / प्रोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड/ पद जिनसे प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति की जानी है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति / चयन समिति विद्यमान है तो इसका गठन क्या है
9	10	11	12	13
लागू नहीं	तीन वर्ष	सीधी भर्ती टिप्पणी - पदस्थ व्यक्ति के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किंहीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या अधिक वर्षों के लिए पद से अनुपस्थित रहने के कारण उत्पन्न हुई रिक्तियों को केंद्र सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकता है जो:- (क) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; और (ख) कॉलम 8 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताएं और अनुभव धारण करते हों।	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन स्तर में वेतनमान	चयनित पद है अथवा अचयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
9	सहायक कार्यपालक	13 (2022)	समूह ग	स्तर 4 (25500-81100 रुपए)	अचयनित	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई है	भर्ती की पद्धति: प्रोन्नति या सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रतिनियुक्ति / प्रोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड/ पद जिनसे प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति की जानी है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति / चयन समिति विद्यमान है तो इसका गठन क्या है
9	10	11	12	13
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा	कनिष्ठ सहायक कार्यपालक पद में आठ वर्ष की नियमित सेवा;	1. अध्यक्ष - निदेशक 2. सचिव, एपीडा 3. कार्मिक एवं प्रशासन प्रभाग से समूह 'क' के अधिकारी 4. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अल्पसंख्यक आयोग (एमसी) की आरक्षित श्रेणी से केंद्रीय सरकार के समूह क अधिकारी के समकक्ष कोई अधिकारी

क्र. सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन स्तर में वेतनमान	चयनित पद है अथवा अचयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
10	रोकड़ कार्यपालक	1 (2022)	समूह ग	स्तर 4 (25500-81100 रुपए)	अचयनित	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई है	भर्ती की पद्धति: प्रोन्नति या सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रतिनियुक्ति / प्रोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड/ पद जिनसे प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति की जानी है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति / चयन समिति विद्यमान है तो इसका गठन क्या है
9	10	11	12	13
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा	कनिष्ठ सहायक कार्यपालक के पद में आठ वर्ष की नियमित सेवा	1. अध्यक्ष - निदेशक 2. सचिव, एपीडा 3. कार्मिक एवं प्रशासन प्रभाग से समूह 'क' के अधिकारी 4. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अल्पसंख्यक आयोग (एमसी)की आरक्षित श्रेणी से केंद्रीय सरकार के समूह क अधिकारी के समकक्ष कोई अधिकारी

सामान्य टिप्पणी 1: जहां प्रोन्नति को भर्ती के पद्धति के रूप में निर्धारित किया गया है / भर्ती की पद्धति 'प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति' के अलावा अन्य में से एक है, निम्नलिखित शर्त उन पदों के संबंध में लागू होगी जिनसे प्रोन्नति की जानी है:

जहाँ कनिष्ठों, जो कि अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके हैं, पर पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है। उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्त कि वे अपेक्षित योग्यता या अर्हता ऐसी योग्य या अर्हक सेवा के आधे से अधिक से कम ना हो या 2 वर्ष तक,

जो भी कम हो और अगले उच्च ग्रेड पर अपने कनिष्ठों सहित पदोन्नति के लिए परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो।

सामान्य टिप्पणी 2: जहां इन विनियमों के अंतर्गत एक से अधिक ग्रेड/पदों से किसी ग्रेड/पद पर प्रोन्नति की जाती है वहां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/आदेशों के अनुसरण में विभिन्न फीडर ग्रेडों से पात्र अधिकारियों की एक संयुक्त पात्रता सूची तैयार की जाएगी।

सामान्य टिप्पणी 3: जहां प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति को भर्ती की पद्धति/भर्ती की पद्धतियों में से एक के रूप में निर्धारित किया गया है, वहां ऐसे ग्रेडों पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी, जिनसे प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति की जानी है:

(1) फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी लाइन में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचारार्थ योग्य नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के विचारार्थ योग्य नहीं होंगे।

(2) फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारियों की नियुक्ति के मामले में, पद/रिक्ति को प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।

(3) प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि तीन वर्ष की होगी जिसे वर्ष प्रतिवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अधिकतम लगातार अवधि पांच वर्ष होगी। केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सांविधिक/स्वायत्त निकाय (निकायों) के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि सामान्य तौर पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(4) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सामान्य टिप्पणी 4: जहां सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है, वहां निम्नलिखित शर्त लागू होगी:

आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (यह निर्धारित अंतिम तारीख उनके लिए लागू नहीं होगी जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और काश्मीर, लद्दाख, लाहौल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पांगी उपप्रभाग, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप के द्विपों में रहते हैं।)

सामान्य टिप्पणी 5: जहां सीधी भर्ती को भर्ती की पद्धति/भर्ती की पद्धतियों में से एक के रूप में निर्धारित किया गया है, वहां सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:-

(1) अन्यथा रूप से विधिवत अर्हक अभ्यर्थियों के मामले में योग्यता में सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर छूट दी जा सकती है।

(2) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर अनुभव से संबंधित योग्यता (ओं) में छूट दी जा सकती है। यदि चयन के किसी स्तर पर, सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

डॉ. एम. अंगमुथु, अध्यक्ष, एपीडा

[विज्ञापन सं. III/4/असा./114/2022-23]

AGRICULTURAL AND PROCESSED FOOD PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY (APEDA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13 June, 2022

F.No. APEDA/PAD/2017-18/000044. —In exercise of the powers conferred by section 33 read with sub section 3 of section 7 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986), the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, regulating the method of recruitment to the Group A, B and C posts in the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, namely:-

1. Short Title and Commencement

- (i) These regulations may be called Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (Recruitment) Regulations, 2022.

- (ii) These regulations shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Initial Constitution

All the existing regular employees on the roll of APEDA on the date of commencement of these regulations shall be deemed to be appointed under these regulations and their period of service of regular appointment shall be admissible for all service matters.

3. Definitions

Unless the context otherwise requires:

- (i) “Act” means the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986);
- (ii) “APEDA” means the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority;
- (iii) “Appointment” includes direct recruitment, appointment by promotion and through any other prescribed method;
- (iv) “Authority” means Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) established under section 4 of the Act;
- (v) “Chairman” means the Chairman of APEDA appointed by the Central Govt.
- (vi) “Appointing Authority” means
- (i) For all the posts upto the pay level 12 (Rs. 78800 – 209200) upto the level of General Manager – Chairman; and
- (ii) For the posts of Secretary and Director - Chairman with the approval of the Central Government
- (vii) “Departmental Candidates” means all the eligible employees in the line of promotion.
- (viii) “Departmental Promotion Committee” or DPC means the committee constituted to consider cases for promotion of those employees who have completed the required years of service and who are otherwise eligible for promotion. The composition of the DPC will be as indicated in each post in the Schedule.
- (ix) Deputation means borrowing the services from Central/State Government/ Public Sector Undertakings/Autonomous bodies, as per the rules prescribed in this regard by the Central Government.
- (x) “Direct Recruitment” means recruitment by calling the candidate from Employment Exchange/ inviting applications through advertisement/entertaining applications from the Authority’s eligible employees.
- Provided that a written test and or interview, as the case may be, may be prescribed wherever deemed necessary by the Chairman as part of the process of direct recruitment and for this purpose, the Chairman may engage/hire the services of suitable agency//organization/institution/firm as per rules/orders of the Government. The Authority’s employees, if recruited will be treated as direct recruits for the purposes of recruitment and will be governed by the Central Government rules regarding counting of past service.
- (xi) “Employee” means any person in regular service and holding any of the posts specified under column 2 of the Schedule attached herewith.
- (xii) “Government” means the Central Government;
- (xiii) “Pay” means the pay as defined under the Fundamental Rules and Supplementary Rules;
- (xiv) “Schedule” means the Schedule to these regulations;
- (xv) “Service” – means in the regular service with the Authority
- (xvi) “Regulations” means regulations made under the Act.
- (xvii) “Rules” means the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Rules 1986 and any other rule(s) made under the Act.

4. Application

These regulations shall apply to all the posts specified under column 2 of the Schedule attached herewith.

5. Scale of Pay, qualification, method of Recruitment

The scales of pay attached to different posts in the service, the minimum qualifications required for recruitment to the posts and the method of recruitment shall be as specified in the Schedule.

6. Reservations, Relaxations, etc. in respect of certain categories of persons

Nothing in these Regulations shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, OBC and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

7. Power of Appointment

- (1) All appointments except that of Chairman, Director and Secretary shall be made by the Chairman
- (2) The Chairman shall be empowered in urgent cases and to meet exigencies of work, to make adhoc appointments to a vacancy without the selection being made by the Selection Committee if such vacancy is in a post carrying pay level 12 (Rs. 78800 – 209200) and such appointments shall be for a period not exceeding 90 days at a time or one year in aggregate or till the appointment or promotion to such post is made in accordance with these regulations, whichever is earlier.

8. Relaxation

Where the Chairman is of the opinion that it is necessary to do so, he may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Recruitment regulations with respect to persons of Group C and B category of posts. However, for Group A posts, any relaxation in the provisions of these regulations shall be made only with the prior approval of the Central Government.

9. Disqualification**No person -**

- (1) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living
- (2) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the posts, Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- (3) who have been punished by any court of law of the land for any criminal act which otherwise debar any incumbent to hold any post in Government service under the rules, shall be eligible for appointment to any of the posts.

10. Interpretation

If any question arises relating to the interpretation of these regulations, it shall be referred to the Central Government who shall decide the same.

11. Repeal

The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (Recruitment) Revised Regulations, 2011 notified under GSP No.87 dated 28.4.2011 and as amended from time to time, are hereby repealed.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of Post	No. of Post	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age-Limit for Direct Recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Director	1*	Group A	Level 13	Selection	Not	Not Applicable

		(2022) *subject to variation dependent on workload		(Rs. 123100 – 215900)	Post	Applicable	
--	--	-------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------	------	------------	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees / Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recruitment : Whether by Promotion or Direct Recruitment or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recruitment by Deputation/Promotion, grades/posts from which Deputation/Promotion to be made	If Departmental Promotion Committee/Selection Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13
Not Applicable	Not Applicable	100% by Deputation	<u>Deputation:</u> General Manager/Secretary of APEDA with five years regular service in the post; Officer of Organized Group 'A' Services of the Central Government holding analogous posts on regular basis or with five years regular service in the Pay Level 12	<u>Selection Committee:</u> 1. Additional/Joint Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry Looking after EP(Agri) Division as Chairman of the Committee 2. Chairman, APEDA 3. Two Members of the Authority 4. An Officer of appropriate level of Central Govt. from SC/ST/MC.

Sl. No.	Name of Post	No. of Posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post or Non-selection Post	Ag-Limit for Direct Recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
2	General Manager	4* (2022) *subject to variation dependent on workload	Group A	Level 12 (Rs. 78800 – 209200)	Selection Post	Not Applicable	Not Applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/	Period of Probation, if any	Method of Recruitment: Whether by Promotion or Direct Recruitment or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be	In case of Recruitment by Deputation/Promotion, grades/posts from which Deputation/Promotion to be made	If Departmental Promotion Committee/Selection Committee exists what is its composition

Deputation		filled by various methods		
9	10	11	12	13
Not Applicable	Not Applicable	By Promotion	Promotion: Deputy General Manager with 5 years regular service in the post	<u>Departmental Promotion Committee:</u> 1. Chairman as Chairman of the Committee 2. Two Members of the Authority 3. Director, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry 4. Director, APEDA 5. An Officer of appropriate level of Central Govt. from SC/ST/MC.

Sl. No.	Name of Post	No. of Post	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age-Limit for Direct Recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Secretary	1 (2022)	Group A	Level 12 (Rs. 78800 – 209200)	Selection Post	Not Applicable	Not Applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recruitment: Whether by Promotion or by Direct Recruitment or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recruitment by Deputation/Promotion, grades/posts from which Deputation/Promotion to be made	If Departmental Promotion Committee/Selection Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13
Not Applicable	Not Applicable	100% by Deputation/Promotion	<u>Deputation:</u> Deputy General Manager of APEDA with five years regular service in the post; Officer of Organized Group 'A' Services of the Central Government holding analogous posts on regular basis or with five years regular service in Pay Level 11	<u>Departmental Promotion Committee:</u> 1. Chairman as Chairman of the Committee 2. Two members of the Authority 3. Director, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry 4. Director, APEDA 5. An Officer of appropriate level of Central Govt. from SC/ST/MC.

Sl. No.	Name of Post	No. of Posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post or Non-selection	Age-Limit for Direct Recruitment	Educational and other qualifications required for direct
---------	--------------	--------------	----------------	-----------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------------------------------

					Post		recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Deputy General Manager	9* (2022) *subject to variation dependent on workload	Group A	Level 11 (Rs. 67700 – 208700)	Selection Post	Not Applicable	Not Applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recruitment: Whether by Promotion or by Direct Recruitment or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recruitment by Deputation/Promotion, grades/posts from which Deputation/Promotion to be made	If Departmental Promotion Committee/Selection Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13
Not Applicable	Not Applicable	100% By Promotion	<u>Promotion:</u> Assistant General Manager with 5 years regular service in the post	<u>Departmental Promotion Committee:</u> 1. Chairman as Chairman of the Committee 2. Two members of the Authority 3. Director/Deputy Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry 4. Director, APEDA 5. An Officer of appropriate level of Central Govt. from SC/ST/MC.

Sl. No	Name of Post	No. of Post	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age Limit for Direct Recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Assistant General Manager	16* (2022) *subject to variation dependent on workload	Group A	Level 10 (Rs. 56100 – 177500)	Selection Post	Not exceeding 35 years	<u>Essential:</u> (i) Bachelor Degree in Agriculture/Horticulture/Veterinary/ Food Processing/Foreign Trade/Plantation/Management Degree in the above fields e.g. Agriculture Management (ii) Five years experience in the above fields post acquiring the above educational qualification <u>Desirable:</u> Master Degree / Doctorate in the above specializations; publication of papers in international journals in the above fields

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recruitment: Whether by Promotion or by Direct Recruitment or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recruitment by Deputation/Promotion, grades/posts from which Deputation/Promotion to be made	If Departmental Promotion Committee/Selection Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13
For Promotion: No; For Deputation: Yes	Three years for promotees; Three years for Direct Recruits	50% by Promotion through Departmental Examination and 50% by Direct Recruitment	<u>Promotion through Departmental Examination:</u> Officers holding the feeder grade of Manager with 3 years regular service in the post Note: Regulations/Rules/Orders prescribing procedure for holding Departmental Examination and constitution of Selection Committee will be issued in this behalf.	Not Applicable

Sl. No.	Name of Post	No. of Posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age-Limit for Direct Recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Manager	2* (2022) *subject to variation dependent on workload	Group B	Level 7 (Rs. 44900 – 142400)	Selection Post	Not Applicable	Not Applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recruitment: Whether by promotion or by Direct Recruitment or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recruitment by Deputation/Promotion, grades/posts from which Deputation/Promotion to be made	If Departmental Promotion Committee/Selection Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13
Not Applicable	Not Applicable	By Promotion	<u>Promotion:</u> Assistant Managers with five years regular service in the post	1. Chairman as Chairman of the Committee 2. Director/Deputy Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry

							3. Director, APEDA 4. Secretary/GM in-charge of P&A 5. An Officer of appropriate level of Central Govt. from SC/ST/MC.
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sl. No.	Name of Post	No. of Posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age-Limit for Direct Recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Assistant Manager	29* (2022) *subject to variation dependent on workload	Group B	Level 6 (Rs. 35400 – 112400)	Selection Post	Not exceeding 30 years	<u>For Direct Recruitment Essential:</u> Bachelor Degree in Agriculture/ Horticulture/ Veterinary /Food Processing / Foreign Trade/ Plantation/ Management Degree in the above fields e.g. Agriculture Management <u>Desirable:</u> Master Degree in the above specializations, publication of papers in international journals in the above fields

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recruitment: Whether by promotion or by Direct Recruitment or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recruitment by Deputation/Promotion, grades/posts from which Deputation/Promotion to be made	If Departmental Promotion Committee/Selection Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13
For Promotion: No; For Deputation: Yes	Three years for promotees; Three years for Direct Recruits	(i) 25% by promotion and (ii) 75% by direct recruitment	<u>Promotion:</u> Executive (EDP) with 6 years regular service in the post; Assistant Executive with 10 years regular service in the post; Cash Executive (Cashier) with 10 years regular service in the post.	1. Chairman as Chairman of the Committee 2. Director/Deputy Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry 3. Director, APEDA 4. Secretary/GM in-charge of P&A 5. An Officer of appropriate level of Central Govt. from SC/ST/MC.

Sl. No.	Name of Post	No. of Post	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age-Limit for Direct Recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Junior Hindi Translator	1* (2022) *subject to variation dependent on workload	Group B	Level 6 (Rs. 35400 – 112400)	Not Applicable	30 years	<p>(i) Master's degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; OR Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; OR Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; AND (ii) Recognized Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English & vice versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government office, including Government of India Undertaking.</p>

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees	Period of Probation, if any	Method of Recruitment: Whether by Direct Recruitment or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recruitment by Deputation/ Promotion, grades/posts from which Deputation/Promotion to be made	If Departmental Promotion Committee/ Selection Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13
Not Applicable	Three years	Direct recruitment Note Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government:- (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under col.8.	Not Applicable	Not Applicable

Sl. No.	Name of Post	No. of Posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age Limit for Direct Recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Assistant Executive	13 (2022)	Group C	4 (Rs. 25500 – 81100)	Non – Selection	Not Applicable	Not Applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees / Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recruitment: Whether by promotion or by Direct Recruitment or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recruitment by Deputation/Promotion, grades/posts from which Deputation/Promotion to be made	If Departmental Promotion Committee/Selection Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13
Not Applicable	Not Applicable	By Promotion	Junior Assistant Executive with eight years' regular service in the post	1. Director as Chairperson 2. Secretary, APEDA 3. Group A officer in charge of Personnel & Administration 4. An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved category

Sl. No.	Name of Post	No. of Post	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age-Limit for Direct Recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Cash Executive	1 (2022)	Group C	4 (Rs. 25500 – 81100)	Non – Selection	Not Applicable	Not Applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees / Deputation	Period of Probation, if any	Method of Recruitment: Whether by promotion or by Direct Recruitment or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recruitment by Deputation/ Promotion, grades/posts from which Deputation/ Promotion to be made	If Departmental Promotion Committee/Selection Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13
Not Applicable	Not Applicable	By Promotion	Junior Assistant Executive with eight years' regular service in the post	1. Director as Chairperson 2. Secretary, APEDA 3. Group A officer in charge of Personnel Administration 4. An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved category SC/ST/MC.

General Note 1: Where promotion has been prescribed as method of recruitment/one of the methods of recruitment other than the method of 'By Deputation/Promotion', the following condition shall apply in respect of grades from which promotion is to be made:

Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.

General Note 2: Where promotions to a grade/post are made from more than one grade/post under these regulations, a combined eligibility list of the eligible officers from various feeder grades shall be prepared in accordance with the instructions/orders issued by DOPT, Government of India.

General Note 3: Where Deputation/Promotion has been prescribed as method of recruitment/one of the methods of recruitment, the following conditions shall apply to grades from which Deputation/Promotion is to be made:

(1) The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly officer on deputation shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(2) In case of appointment of departmental officers in the feeder category, the post/vacancy will be deemed to have been filled by promotion.

(3) The initial period of deputation shall be three years extendable on year to year basis. The maximum continuous period of deputation shall be five years. The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / department of the Central Government/State Government/Statutory/Autonomous Body(s) shall ordinarily not exceed five years.

(4) The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date for receipt of applications.

General Note 4: Where Age Limit has been prescribed for Direct Recruitment, the following condition shall apply:

The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Jammu, Kashmir, Ladakh, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar, Islands of Lakshadweep)

General Note 5: Where Direct Recruitment has been prescribed as method of recruitment/one of the methods of recruitment, the following provisions shall apply in regard to Educational and other qualifications required for direct recruitment:

- (1) Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.
- (2) The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Dr. M. ANGAMUTHU, Chairman, APEDA
[ADVT.-III/4/Exty./114/2022-23]